केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 322/टीएल/2024 दिनांक: 14.5.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

एनईआरजीएस–I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोर–4, स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार पर "उत्तर पूर्वी प्रदेश उत्पादन योजना–I (एनईआरजीएस–I)" (जिसे इसके पश्चात् "परियोजना" कहा गया है) के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में एससीओडी
1	▪ असम में बोकाजन पर नए 400 केवी स्विचिंग स्टेशन (भविष्य में 400/220 केवी स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा) की स्थापना। ○ 420 केवी 80 एमवीएआर बस रिएक्टर – 2 नंबर ○ 400 केवी बस रिएक्टर बे: 2 नंबर ○ 420 केवी, 50 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर: 2 नंबर (बोकाजन पर मीसा (पावरग्रिड) – न्यू मरियानी (पावरग्रिड) 400 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों के लीलो के बाद निर्मित बोकाजन – न्यू मरियानी केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक सर्किट में एक) ○ 400 केवी लाइन बे: 5 नंबर [बोकाजन पर मीसा – न्यू मरियानी 400 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों के लीलो की समाप्ति के लिए 4 नंबर (इस योजना के अधीन लीलो) और एपीडीसीएल – बोकाजन समर्पित पारेषण लाइन की समाप्ति के लिए बोकाजन (आईएसटीएस) स्विचिंग स्टेशन पर केवी लाइन बे का 1 नंबर (लाइन मैसर्स एपीडीसीएल के कार्य–क्षेत्र के अधीन है)] **भावी विस्तार के लिए अतिरिक्त स्थान:** ▪ दोनों वोल्टेज स्तरों पर संबद्ध आईसीटी बे के साथ 400/220 केवी, 4x500 एमवीए आईसीटी ▪ संबद्ध बे के साथ 420 केवी, 2x125 एमवीएआर बस रिएक्टर ▪ भावी लाइनों के लिए 400 केवी लाइन बे (स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान के साथ) के 9 नंबर ▪ भावी लाइनों के लिए 220 केवी लाइन बे के 10 नंबर ▪ 400 केवी बस सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट ▪ 220 केवी बस सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट ▪ 220 केवी बस कपलर बे: 2 नंबर ▪ 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर बे: 2 नंबर	31 दिसम्बर 2026
2	बोकाजन पर मीसा (पावरग्रिड) – न्यू मरियानी (पावरग्रिड) 400 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों का लीलो	

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 12.8.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 322/टीएल/2024 में दिनांक 13.5.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. **एनईआरजीएस–I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट https://www.techno.co.in/public/uploads/2/2024-08/techno_tl_final_pdf.pdf पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **27.5.2025** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **29.5.2025** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव